राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 17/2017

दायर दिनांक 11.08.2017

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. भंवरलाल पुत्र सूजा जाति मीणा निवासी ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

––वादी

वनाम

1. गोपाल पुत्र सूजा जाति मीणा
2. भागीरथ पुत्र सूजा जाति मीणा
3. सत्यनारायण पुत्र सूजा जाति मीणा
   सर्व निवासीगण ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रतिवादीगण

वद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधि0 1955

निर्णय दिनांक 24.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पालड़ी भोपतोतान पटवार हल्का भदूण तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। जिसके ख0न0 147 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा , ख0न0 150/5 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 150/9 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादी की कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की वाद वर्णित भूमि पर अवैध रूप से ब्लात अतिचार, कब्जा करने का, सींव डोल लगा कर कच्चा पक्का निर्माण करने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार नहीं है। ना ही अवैध रूप से कब्जा कर वादी के उपयोग, उपभोग में बाधा कारित करने का किसी तरह का अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वादी की वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने व सींव मेड़ पर डोल लगा कर निर्माण करने का प्रयास किया गया। वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के उक्त अवैध कृत्य का विरोध कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर अवैध कृत्य को रूकवा कर अवैध रूप से वादी की भूमि पर अवैध रूप से सींव मेड़ पर डोल लगा कर निर्माण कार्य करने के कार्य को रूकवाया गया।

वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने व अवैध रूप से सींव मेड़ पर डोल लगा कर निर्माण कार्य करने पर उतारू होने के कार्य को रूकवाने के पश्चात पुनः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके सींव, डोल लगाने का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है एवं दादागिरी के बल पर कब्जा करके वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या [illegible] को न तो कब्जा करने का किसी तरह का अधिकार है, न ही सींव डोल लगा कर निर्माण करने [illegible] का अधिकार है। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्यां 1 लगायत 3 वादी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा [illegible] हेतु उतारू है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी की वाद [illegible] आराजी भूमि पर किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं करे एवं ना ही [illegible] के कृषि भूमि पर किसी तरह का अवैध सींव डोल लगा कर निर्माण करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता की ओर से प्रकरण में जवाव पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाव अनुसार ग्राम पालड़ी भोपतोतान की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 102 के ख0न0 147 रकवा 10 बीघा 16 बिस्वा , ख0न0 150/5 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 150/9 रकवा 4 वीघा 4 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा भंवरलाल पुत्र सूजा जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन महिन्द्रा बैंक लि0 जयपुर के नाम दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया है। जवाव पश्चात तनकियात कायम की गई। वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया गया जिस पर वादी के बयान लिये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में पैरवी नही करने से वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। तदनुसार ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खाता संख्या 102 के ख0न0 147 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा , ख0न0 150/5 रकवा 2 वीघा 13 विस्वा, ख0न0 150/9 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में किसी तरह की कोई बाधाकारित नहीं करने, किसी तरह का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करने , खुदाई नहीं करने , फसल बुवाई , जुताई , कटाई में किसी तरह की बाधा , रूकावट पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण, उनके नौकर/चाकर, परिवार के सदस्यो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (रूपनगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:25:00 IST
Reason: SelfAttested